



**राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख  
डॉ. मनमोहन वैद्य द्वारा जारी वक्तव्य।**

4-3-2012

उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए कुछ प्रसार माध्यमों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जी के विषय में एक वृत्त दि. 29 फरवरी 2012 को प्रसारित करना शुरू किया था, जो पूर्णतः असत्य एवं आधारहीन था। **‘सुप्रीम कोर्ट की संघ प्रमुख को फटकार, सुप्रीम कोर्ट रैप्स आर.एस.एस. चीफ’** इस तरह के शीर्षक के साथ ब्रेकिंग न्यूज प्रसारित की गई। वास्तव में उच्चतम न्यायालय की सुनवाई में सरसंघचालक जी के नाम तक का कोई उल्लेख नहीं हुआ था। गलत समाचार प्रसारण की बात जानकर न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात ही समाचार चैनलों ने अपना समाचार वापिस ले लिया। उसी के साथ यह समाचार गलत था यह भी प्रसारित करना उनका दायित्व था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ही उच्चतम न्यायालय का सम्मान करता आया है तथा करता रहेगा। उसी तरह प्रसार माध्यमों के स्वातंत्र्य का भी संघ सम्मान करता है। परन्तु समाचार की सत्यता परख कर ही उसे प्रसारित करने के सर्वस्वीकृत मूल्य की अनदेखी कुछ प्रसार माध्यम करते दिखते हैं यह न केवल खेदजनक है बल्कि निंदनीय भी है।

जारीकर्ता

नरेन्द्र ठाकुर  
प्रचार प्रमुख, उत्तर क्षेत्र  
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ